

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	xi
अध्याय I: राज्य के वित्त का अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य की जनसांख्यिकी	1.1.1	1
राज्य की अर्थव्यवस्था	1.1.2	2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय	1.1.2.1	2
जीएसडीपी में क्षेत्र-वार योगदान	1.1.2.2	3
वित्त का आशुचित्र	1.1.3	4
प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का दस वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण	1.1.4	5
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	1.1.5	7
सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र	1.1.6	8
राज्य की समेकित निधि	1.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.2.1	9
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.2.2	19
वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक आँकड़े	1.2.3	20
व्यय	1.2.4	20
राजस्व व्यय	1.2.4.1	22
पूँजीगत व्यय	1.2.4.2	28
आकस्मिकता निधि	1.3	33
लोक लेखा	1.4	34
निवल लोक लेखा शेष	1.4.1	34
रक्षित निधि	1.4.2	35
नकद शेष	1.4.3	35
राजकोषीय संधारणीयता	1.5	37
लोक देयता प्रबंधन	1.5.1	37
देयताओं की रूपरेखा: घटक	1.5.1.1	38
उधार ली गई निधि का उपयोग	1.5.1.2	40
ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	1.5.1.3	41
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप	1.5.1.4	41
लेखापरीक्षा के पश्चात घाटा संकेतक	1.5.2	42
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5.3	43
ऋण संधारणीयता विश्लेषण	1.5.4	45

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
गारंटी की स्थिति - आकस्मिक देनदारियां	1.5.5	47
राजकोषीय गुंजाइश पर अमुक्त देनदारियाँ	1.5.6	48
निष्कर्ष	1.6	48
अच्छी प्रथाएं	1.7	49
अनुशंसाएँ	1.8	49
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	51
बजट अनुमान तथा अपेक्षित एवं वास्तविकता के बीच अंतर	2.2	51
बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक-वार विश्लेषण	2.2.1	54
अनुदान संख्या 20 तथा 51 के अंतर्गत बजट और व्यय की संक्षिप्त स्थिति	2.2.2	55
बजट मार्कमैनशिप	2.3	56
विनियोग लेखे	2.4	57
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया	2.5	58
विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	2.5.1	58
आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन	2.5.2	58
कुछ अनुदानों में सतत आधिक्य व्यय	2.5.2.1	60
अनावश्यक एवं आधिक्य अनुपूरक अनुदान	2.5.3	60
निधियों का अनुचित पुनर्विनियोग	2.5.4	62
अप्रयुक्त राशि तथा अभ्यर्पित की गई विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	2.5.5	62
राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	2.5.6	64
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्तपोषण	2.5.7	65
बाल बजट की समीक्षा	2.5.7.1	65
व्यय का वेग	2.5.8	66
राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन	2.6	69
एकल नोडल एजेंसी	2.6.1	69
एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श	2.6.2	75
अनुदान संख्या 20 तथा 51 की विस्तृत समीक्षा में देखे गए अन्य मुद्दे	2.7	75
आकस्मिकता निधि	2.8	95
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.8.1	95
निष्कर्ष	2.9	96

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अनुशंसाएँ	2.10	97
अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएं		
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/ प्राधिकरणों के माध्यम से बजट के बाहर लिया गया उधार	3.1	99
सरकार की अमुक्त देनदारियाँ	3.2	100
अमुक्त ब्याज देयता	3.2.1	100
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अल्प योगदान	3.2.2	101
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.2.3	102
स्थानीय निकायों को उपकर का हस्तांतरण नहीं करना	3.2.4	103
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास	3.2.5	103
राज्य खनिज अन्वेषण न्यास/ राज्य खनिज विकास निधि	3.2.6	103
उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलंब	3.3	104
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	3.4	106
व्यक्तिगत जमा खाते	3.5	113
लघु शीर्ष-800 का संचालन	3.6	114
प्रमुख उद्यंत और ऋण, जमा, प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत बकाया शेष	3.7	114
नकद शेष का समाशोधन	3.8	116
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.9	116
स्वायत्त निकायों/ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की प्रस्तुति	3.10	117
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि	3.11	119
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.12	119
निष्कर्ष	3.13	119
अच्छी प्रथाएं	3.14	120
अनुशंसाएँ	3.15	120
परिशिष्ट		
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	1.1	123
2015-16 से 2024-25 के दौरान प्रमुख राजकोषीय और आर्थिक मापदंडों के दस साल के रुझान	1.2	126
वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार	1.3	127
31 मार्च 2025 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	1.4	130
ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	2.1	132

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए	2.2	134
निधियों का अनुचित पुनर्विनियोग	2.3	135
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत वाले अनुदान (₹ 100 करोड़ से अधिक)	2.4	136
वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.5	137
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान-वार बजट उपयोग का प्रतिशत एवं बचत	2.6	138
बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई	2.7	141
मार्च 2025 में ₹ 100 करोड़ से अधिक की राशि का अभ्यर्पण	2.8	144
संशोधित परिव्यय में नीतिगत पहल के साथ संपूर्ण बजट राशि की निकासी	2.9	145
अनुदान संख्या 20 में अंतिम तिमाही के दौरान व्यय का वेग	2.10	146
अनुदान संख्या 20 में मार्च 2025 के महीने में व्यय का वेग	2.11	148
अनुदान संख्या 51 में मार्च 2025 के महीने में व्यय का वेग	2.12	150
अनुदान संख्या 51 के तहत नमूना-जाँच की गई इकाइयों में एसएनए का बचत	2.13	153
एसएनए ब्याज की जमा में विलंब	2.14	156
सतत बचत	2.15	158
अनुदान संख्या 20 में संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग	2.16	159
अनुदान संख्या 51 में संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग	2.17	161
निधियों की अनुपयोगिता	2.18	164
बचत के अभ्यर्पण नहीं होने के कारण व्यपगत राशि	2.19	165
वित्तीय वर्ष के अंत में निधि का अभ्यर्पण	2.20	167
बैंक खातों में पड़ी अवरुद्ध राशि	2.21	168
15वें वित्त आयोग के तहत प्रदान की गई निधि का प्रावधान एवं व्यय	2.22	170
राशियों की निकासी के लिए निर्धारित फॉर्म का उपयोग नहीं किया गया	2.23	171
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत अंशदान और निवेश का विवरण	3.1	172
अनुदान संख्या 20 में बकाया डीसी विपत्र	3.2	173
वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों की निकासी	3.3	175

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र विलंब से जमा	3.4	178
संक्षिप्त आकस्मिक राशि का अनुपयोग और कोषागार को प्रेषण	3.5	180
अनुदान संख्या 51 में बकाया डीसी विपत्र	3.6	181